रमन कुमार

बनाम

पंजाब राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 828/2009)

24 अप्रैल 2009

[डॉ.अरिजीत पसायत, और अशोक कुमार गांगुली,जे.जे.]

भारतीय दंड संहिता, 1860:

धारा 304 ख और 498 क – दहेज मृत्यु- पति को उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध- न्यायोचित्त- अभिनिर्धारित: उच्च न्यायालय का निर्णय अधूरा है और आधारहीन- अभियोजन पति पर लगे आरोप साबित करने मे असफल- इसलिए उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त किया गया।

धारा 304 ख – दहेज मृत्यु – अपराध के आवश्यक घटक – विवेचना

धारा 304 ख – धारा 113 ख साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत उपधारणा के लिये आवश्यक घटक

शब्द और मुहावरा 'कुछ समय पूर्व - अर्थ – धारा 304 ख भा.दं.सं. तथा 113 ख साक्ष्य अधिनियम, 1872 के संदर्भ में।

इस अपील में, उच्च न्यायालय के अपीलार्थी- पति की धारा 304 ख और 498 क के अपराध के लिए किये गये दोषसिद्धि के आदेश को आक्षेपित किया गया।

न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुए, अभिनिर्धारित किया गया :-

1.1 धारा 304 ख भा.दं.सं. के प्रावधान तब लागू होते है जब किसी महिला की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व उसके पति ने या उसके पति के नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी, या उसे तंग किया था। आईपीसी की धारा 304-बी के लागू होने के आवश्यक घटक इस प्रकार हैं:

(i) महिला की मृत्यु दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा होनी चाहिए।

(ii) ऐसी मृत्यु उसकी शादी के सात साल के भीतर होनी चाहिए।

(iii) उसके साथ उसके पति या पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता की गई हो या उसे तंग किया गया हो।

(iv) ऐसी क्रूरता या तंग दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में होना चाहिए।

(v) यह दर्शाया जाना चाहिए कि ऐसी क्रूरता या तंग महिला के साथ उसकी मृत्यु से ठीक पहले किया गया था। [para 13] [945- E-H; 946-A-B]

1.2 आईपीसी की धारा 304-बी में "दहेज मृत्यु" की परिभाषा और साक्ष्य अधिनियम की उपधारित धारा 113-बी में शब्दों के अनुसार, दोनों प्रावधानों में, अन्य के अलावा, आवश्यक तत्वों में से एक यह है कि संबंधित महिला को "उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले" उसे "दहेज की मांग के संबंध में" क्रूरता या तंग का शिकार होना पड़ा हो। धारा 113-बी के तहत उपधारणा कानून की उपधारणा है। उसमें उल्लिखित आवश्यक बातों के प्रमाण पर, अदालत के लिए यह उपधारणा करना अनिवार्य हो जाता है कि अभियुक्त ने दहेज हत्या कारित की है। निम्नलिखित अनिवार्यताओं के प्रमाण पर ही उपधारणा कारित की जाएगी: (1) अदालत के समक्ष प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या आरोपी ने किसी महिला की दहेज हत्या की है। (इसका मतलब यह है कि उपधारणा तभी की जा सकती है जब आरोपी पर आईपीसी की धारा 304-बी के तहत अपराध के लिए विचारण चलाया जा रहा हो ।)

(2) महिला को उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता या तंग का शिकार होना पड़ा।

(3) ऐसी क्रूरता या तंग दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में था।

(4) ऐसी क्रूरता या तंग उसकी मृत्यु से ठीक पहले हुआ था। [para 15] [946-G-H; 947-A-E]

1.3 साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी और आईपीसी की धारा 304-बी को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि यह दर्शाने के लिए सामग्री होनी चाहिए कि उसकी मृत्यु से ठीक पूर्व पीड़िता के साथ क्रूरता की गई या उसे तंग किया गया हो। अभियोजन पक्ष को प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु की संभावना को खारिज करना होगा ताकि इसे "सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा होने वाली मृत्यु" के दायरे में लाया जा सके। जहां साक्ष्य अधिनियमअ की धारा 113-बी और आईपीसी की धारा 304 बी को लागू किया जाता है, वहां "कुछ समय पूर्व" अत्यन्त सुसंगत है। अभियोजन पक्ष यह दर्शाने के लिए बाध्य है कि घटना से ठीक पहले उसके साथ क्रूरता हुई हो या उसे तंग किया था और केवल तभी उपधारणा लागू होती है। इस संबंध में साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये जाने चाहिए। ''कुछ समय पूर्व'' एक सापेक्ष शब्द है और ये प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और इसके लिए कोई स्ट्रेटजैकेट फार्मूला निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि घटना से ठीक पहले की अवधि क्या होगी। किसी भी निश्चित अवधि को इंगित करना घातक होगा, और यह

दहेज मृत्यु के अपराध के सबूत के साथ-साथ साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के तहत अपधारणा करने के लिए निकटतम परीक्षण के महत्व को दर्शाता है। आईपीसी की मूल धारा 304 बी और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी में प्रयुक्त अभिव्यक्ति ''उसकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व'' निकटतम परीक्षण के विचार के साथ-साथ मौजूद है। कोई निश्चित अवधि इंगित नहीं गयी है और अभिव्यक्ति "कुछ समय पूर्व" परिभाषित नहीं है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टान्त (अ) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "कुछ समय पूर्व" प्रासंगिक है। इसमें कहा गया है कि न्यायालय यह मान सकता है कि चोरी के तुरन्त बाद जिस व्यक्ति के पास सामान है, वह या तो चोर है या उसने उस वस्तु को यह जानते हुए सामान प्राप्त किया है कि वह चुराई हुई है, जब तक कि वह अपने कब्जे का हिसाब न दे सके। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, "कुछ समय पूर्व" शब्द के भीतर आने वाली अवधि का निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाता है। हालाँकि, यह इंगित करना पर्याप्त है कि "कुछ समय पूर्व" अभिव्यक्ति का सामान्य अर्थ यह होगा कि संबंधित क्रूरता या तंग और संबंधित मृत्यु के बीच अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। दहेज की मांग पर आधारित क्रूरता के प्रभाव और संबंधित मृत्यु के बीच निकटतम और जीवंत संबंध का अस्तित्व होना चाहिए। यदि क्रूरता की कथित घटना समय में बहुत पूर्व की है और इतनी पुरानी हो चुकी है कि संबंधित महिला के मानसिक

संतुलन पर प्रभाव नहीं डाल रही है, तो इसका कोई परिणाम नहीं होगा।" [para 16] [947-E-H; 948-A-F]

2.1 जिस अस्पताल में मृतका का इलाज किया गया था, उसकी हिस्ट्री शीट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब मृतका ने गैस स्टोव जलाने की कोशिश की तो अचानक आग लग गई। विचारण न्यायालय का मानना था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि किसने दर्ज किये। न्यायालय ने पीडब्लू-11 डाॅक्टर की साक्ष्य को इस आधार पर खारिज कर दिया कि हिस्ट्रीशीट यह स्पष्ट नहीं कर रही है कि हिस्ट्रीशीट किसकी उपस्थिति में तैयार की गई थी क्योंकि उस पर किसी डॉक्टर के हस्ताक्षर और लिखावट नहीं है। यह देखा गया कि डॉक्टर पीडब्लू-11 की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि हिस्ट्री शीट किसने लिखी हैं। यह भी देखा गया कि इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया कि पीडब्लू-11 डाॅक्टर की लिखावट से कैसे परिचित था, जिसने कथित तौर पर बयान दर्ज किये थे। उच्च न्यायालय ने इस पहलू का उल्लेख तक नहीं किया लेकिन अप्रकट तरीके से विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को बरकरार रखा। यह महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर पीडब्लू-1 ने प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से कहा था कि मरीज की हिस्ट्री शीट डॉक्टर "बी" द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि उपचार उनके द्वारा निर्धारित किया गया था। यह उस दिन ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर द्वारा बनाए गए बेड हेड टिकट में दर्ज किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि मरीज़ सदमे में थी लेकिन वह बेहोश नहीं थी। उन्होंने

कहा कि उन्होंने बेड हेड टिकट में डॉ. के हस्ताक्षर और लिखावट की पहचान की है। एफआईआर में कथित तौर पर मृतका द्वारा लिखे गए एक पत्र का संदर्भ दिया गया था। इस पत्र को एक प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया गया है। [para 6] [941-G-H; 942-A-E]

2.2 केवल पत्र को पढ़ने से स्पष्ट दर्शित है कि मांग के बारे में कोई फुस-फुसाहट तक नहीं है, लेकिन मृतका ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसने पैसे और सामान खुद ही मांगे थे। विचारण न्यायालय ने गलत तौर पर यह माना कि पत्र में दहेज की मांग का संदर्भ था। हैरानी की बात है कि उच्च न्यायालय ने माना कि भले ही पत्र क्रमरहित था लेकिन दहेज के लिए तंग करने के बारे में रिश्तेदारों के सबूतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत में दर्ज किए गए बयानों में सुधार हुए हैं। साक्षी पीडब्लू 6 और 7 ने पहली बार कुछ पहलुओं को जाहिर किया। इस संबंध में पीडब्लू-6 का कथन महत्वपूर्ण है। न्यायालय में उन्होंने कहा कि मृतका ने अस्पताल में उन्हें बताया था कि आरोपियों ने उस पर मिट्टी का तेल डाला था। उन्होंने अपनी परीक्षण के दौरान स्वीकार किया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 161 के संदर्भ में दर्ज किए गए उनके बयान में ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया था। इसी तरह पीडब्लू-7 ने न्यायालय में कहा कि मृतका ने उसे अपने ससुराल वालों द्वारा 1,00,000/- रुपये की मांग करने और 20,000/- रुपये देने के बारे में बताया था। यह संहिता की धारा 161 के तहत अन्वेषण के दौरान नहीं कहा

गया था। न्यायालय में पीडब्लू-7 ने कहा कि मृतका को 14.8.1992 और 15.8.2002 को पीटा गया था और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था और जांच के दौरान ऐसा कोई कथन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, पीडब्लू-8 द्वारा ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया था। [para 7] [94-E-H; 943-A-C]

2.3 न्यायालय में पीडब्लू-7 ने अपने कथन में कहा कि मृतका ने उसे बताया था कि ए-1 और ए-2 ने उसे पकड़ लिया और ए-1 ने उसके शरीर पर तेल डाला और माचिस की तीली फेंककर आग लगा दी। अन्वेषण के दौरान ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया था। इसी तरह वह PW-6 का संस्करण भी नहीं है। न्यायालय में पीडब्लू-7 ने कहा कि सभी आरोपी व्यक्तियों यानी वर्तमान अपीलार्थी और बरी किए गए आरोपी व्यक्तियों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। किन्तु धारा 161 के तहत गवाह से पूछताछ के दौरान ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया था । [para 8] [943-C-E]

2.4 उच्च न्यायालय का निर्णय न केवल अधूरा है बल्कि कारणहीन भी है। ऊपर उजागर किए गए विभिन्न कारकों से पता चलता है कि जहां तक अपीलार्थी का संबंध है, अभियोजन पक्ष आरोपों को स्थापित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। [para 17] [948-F]

हज़ारीलाल बनाम म.प्र. राज्य 2007 (8) स्केल 555; हरजीत सिंह बन्नाम पंजाब राज्य (2006) 1 एससीसी 463 और कलियापेरुमल और अन्य बनाम तमिल नाडु राज्य 2004(9) एससीसी 157,

निर्णय संदर्भित:

2007 (8) स्केल 555	संदर्भ	para 9
(2006) 1 एससीसी 463	संदर्भ	para 10
2004(9) एससीसी 157	संदर्भ	para 11

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता: आपराधिक अपील संख्या 828/2009

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, आपराधिक अपील संख्या 396-SB/ 1998 में के आदेश एवं निर्णय दिनांकित 12.05.2008 से

सुधीर वालिया और महिंदर सिंह दहिया अपीलकर्ता के लिए

अनिल ग्रोवर, एस. पी. सिंह, मनीष कुमार और कुलदीप सिंह प्रत्यर्थी के लिए

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति डॉ. अरिजीत पसायत,द्वारा दिया गया :

1. अनुमती स्वीकृत।

2. इस अपील में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें पंजाब राज्य द्वारा सह-अभियुक्तों सतीश कुमार, मदन लाल और आशा के समबंध मे दायर अपील को खारिज करते हुए वर्तमान अपीलार्थी रमन कुमार की सजा को बरकरार रखा गया। विद्वान सत्र न्यायाधीश, गुरदासपुर ने अपीलार्थी और दो सह-अभियुक्तों को बरी करने का निर्देश दिया था, जिन्हें भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'भादस') की धारा 304 बी और 498-ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए विचारण का सामना करना पड़ा था।

3. पृष्ठभूमि के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

सुमन बाला (आगे 'मृतका' के रूप में संदर्भित) का विवाह 11.4.1992 को अपीलार्थी से हुआ था। 13.8.1992 को रक्षाबंधन पर वह अपने पति के साथ मायके आई और रात को वहीं रुकी। सुबह आठ बजे पति के पास वापस जाते समय वह रोने लगी। उसके पिता शाम लाल पीडब्लू-6 ने उसे एक कलाई घड़ी और 300/- रुपये दिए। उसने उसे अलग से 2,000 रुपये भी दिये। दिनांक 16.8.1992 को प्रातः 8-00 बजे, सुरिंदर कुमार (शाम लाल की बहन के पति) ने शाम लाल से मुलाकात की और उन्हें बताया कि उन्हें रमन कुमार से सूचना मिली है कि सुमन बाला रात में 2.00 बजे जल गई थी और उसे मुनी लाल चोपड़ा अस्पताल अमृतसर में भर्ती कराया गया था। शाम लाल अस्पताल गया लेकिन सुमन बाला बेहोश थी। उसका

बयान एस.आई. तीरथ राम ने इस आशय का दर्ज किया था कि सुमन बाला ने अपने ससुराल वालों से तंग आकर अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इससे आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में 'एफ.आई.आर') दर्ज की गई। एसआई तीरथ राम पीडब्लू-9 ने मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट तैयार की और पोस्टमार्टम जांच के लिए आवेदन किया। उन्होंने जांच के लिए कदम उठाए और जांच के बाद आरोपियों को विचारण के लिए भेज दिया गया। पीडब्लू-3 डॉ. आर के गोरिया ने 18.8.1992 को शाम 4.50 बजे पोस्टमार्टम किया। उनके अनुसार, मृत्यु का कारण सदमा और जलने के परिणामस्वरूप था, जो मृत्यु कारित होने का पर्याप्त कारण था।

रिकॉर्ड पर साक्ष्य से पता चलता है कि पीडब्लू-1 डॉ. बलबीर सिंह रंधावा ने 16.8.1992 को सुबह 6.10 बजे सुमन बाला की जांच की और उसे 75% जला हुआ पाया। उसे चार माह का गर्भ था। पीडब्लू-4 डॉ. गुरमनजीत राज पोस्टमार्टम परीक्षा करने में पीडब्लू-3 डॉ. आरके गोरिया के साथ शामिल हुए थे। पीडब्लू-2 सतीश चंदर, ड्राफ्ट्समैन ने साइट प्लान तैयार किया था। पीडब्लू-5 सुरिंदर कुमार ने बताया कि सुमन बाला के ससुराल वाले दहेज को लेकर असंतुष्ट नहीं थे। वह जांच के दौरान दिए गए बयान से मुकर गए। प्रतिपरीक्षा में उन्होंने स्वीकार किया कि आरोपी इस बात का संतोषजनक जवाब देने में सक्षम थे कि सुमन बाला कैसे जली। पीडब्लू-6 शाम लाल ने बताया कि उसकी बेटी ने उसे अस्पताल में बताया

कि उसे अपीलार्थी और सतीश ने पकड़ लिया था, उसकी सास आशा रानी ने उस पर मिट्टी का तेल डाला और अपीलार्थी ने उसे आग लगा दी। उन्होंने अपने नाखुश होने के बारे में एक पत्र Ex.PF भी लिखा। मृतका सुमन बाला की मां सुरिंदर कांता (पीडब्लू-7) ने बताया कि सुमन बाला को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। मृतका के भाई मनोज कुमार पीडब्लू-8 ने बताया कि सुमन बाला को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था तथा रमन कुमार ने 1 लाख रुपये की मांग की थी और उसे 15/16.8.1992 की मध्यरात्रि में जलाया गया। 17.8.1992 को उसकी मृत्यु हो गई। तीरथ राम पीडब्लू-9 जांच अधिकारी हैं। उन्होंने अपने द्वारा की गई जांच को साबित कर दिया। हरवंत सिंह पीडब्लू-10 एक औपचारिक गवाह था। डॉ. राजेश कुमार महाजन पीडब्लू-11 ने बताया कि सुमन बाला को उनके अस्पताल में 16.8.1992 को सुबह 6-00 बजे भर्ती कराया गया था, उसने उन्हें बताया कि वह दुर्घटनावश आग में जल गई थी। उसे आगे के इलाज के लिए मुनि लाल चोपड़ा अस्पताल रेफर कर दिया गया।

अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष के आरोपों से इनकार किया। रमन कुमार ने कहा कि उन्होंने कभी भी दहेज की मांग नहीं की और न ही सुमन बाला के साथ दुर्व्यवहार किया। गैस चूल्हा जलाते समय दुर्घटनावश लगी आग में वह जल गयी। उनका इलाज पहले बटाला और फिर अमृतसर में किया गया। सतीश कुमार ने कहा कि वह रमन कुमार से अलग रह रहा था और उसने कभी भी मृतका को परेशान नहीं किया। मदन लाल और

आशा रानी ने भी यही कहा। एम्बुलेंस के चालक दास गोबिंद सिंह डीडब्ल्यू-1 ने कहा कि वह 16.8.1992 को रमन कुमार और सुमन बाला के साथ बटाला से अमृतसर तक गए थे। उन्होंने बटाला में डॉ. इंद्रजीत सिंह द्वारा की गई एंट्री Ex.DC को भी साबित किया।

विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों पर विचार करने के बाद माना कि अभियोजन पक्ष का मामला रमन कुमार के खिलाफ साबित हुआ, लेकिन सतीश, मदन लाल और आशा रानी को संदेह का लाभ दिया गया।

उच्च न्यायालय ने पक्षों के संबंधित रुख का उल्लेख करने के बाद अप्रत्याशित तौर पर यह माना कि अपीलार्थी को बरी करना कानूनी और उचित नहीं था। हालाँकि यह अभिनिर्धारित किया कि विचारण न्यायालय यह मानने में सही था कि शाम लाल (पीडब्लू -6), श्रीमती सुरिंदर कांता (पीडब्लू-7) और मनोज कुमार (पीडब्लू-8) द्वारा कहा गया तथाकथित मृत्युपूर्व बयान पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं था। अपनाया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण था और जहां तक सतीश, मदन और आशा रानी को बरी करने का सवाल है, कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया था। वर्तमान अपीलार्थी के संबंध में यह माना गया कि यद्यपि Ex.PF पत्र अप्रासंगिक था, लेकिन दहेज के लिए उसके तंग के बारे में मृतका के माता-पिता और भाई के साक्ष्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उसकी मृत्यु शादी

के चार महीने के भीतर हुई और कोई अन्य संभावित कारण सामने नहीं रखा गया कि उसकी मृत्यु क्यों हुई। आकस्मिक आग लगने की दलील विश्वसनीय नहीं थी। मृतका की मां पीडब्लू-7 के साक्ष्य का संदर्भ दिया गया था जिसमें कहा गया था कि मृतका ने 1,00,000/- रुपये की मांग और दहेज के लिए तंग करने की शिकायत की थी। इसी तरह का बयान मृतका के भाई मनोज कुमार (पीडब्लू-8) ने भी दिया था। केवल इसी टिप्पणी के साथ अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उच्च न्यायालय ने तथाकथित के साक्ष्य का गलत विश्लेषण किया है। उच्च न्यायालय द्वारा इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि बहुत सारी अतिशयोक्ति और बयान थे जो अन्वेषण के दौरान नहीं बल्कि अदालत में दिए गए थे। ऐसे साक्ष्यों पर भरोसा करना विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के लिए उचित नहीं था।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया।

6. यह ध्यान देने योग्य बात है कि जिस अस्पताल में मृतका का इलाज किया गया था, उसकी हिस्ट्री शीट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब मृतका ने गैस स्टोव जलाने की कोशिश की तो अचानक आग लग गई। विचारण न्यायालय का मानना था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है

कि बयान किसने दर्ज किया। इसने पीडब्लू-11 के साक्ष्य को इस आधार पर खारिज कर दिया कि हिस्ट्रीशीट Ex. DA यह स्पष्ट नहीं कर रहा है कि हिस्ट्रीशीट किसकी उपस्थिति में तैयार की गई थी क्योंकि उस पर किसी डॉक्टर के हस्ताक्षर और लिखावट नहीं थी। यह देखा गया कि एक डॉक्टर राजेश कुमार (पीडब्लू-11) के साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि Ex.DA किसने लिखा है। यह भी देखा गया कि इस बात का कोई कारण नहीं बताया गया कि पीडब्लू-11 डॉक्टर भूपिंदर कौर की लिखावट से कैसे परिचित था, जिसने कथित तौर पर बयान दर्ज किया था। उच्च न्यायालय ने इस पहलू का उल्लेख तक नहीं किया लेकिन अप्रकट तरीके से विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को बरकरार रखा। यह महत्वपूर्ण है कि डॉ. बलबीर सिंह रंधावा (पीडब्लू-1) ने प्रतिपरीक्षा Ex.PA में स्पष्ट रूप से कहा था कि मरीज की हिस्ट्री शीट Ex.DA डॉ. भूपिंदरजीत कौर द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि उपचार उनके द्वारा निर्धारित किया गया था। यह उस दिन ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर भूपिंदरजीत कौर द्वारा बनाए गए बेड हेड टिकट में दर्ज किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि मरीज़ सदमे में थी लेकिन वह बेहोश नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने बेड हेड टिकट में डॉ. भूपिंदरजीत कौर के हस्ताक्षर और लिखावट की पहचान की है। एफआईआर में कथित तौर पर मृतका द्वारा लिखे गए एक पत्र का संदर्भ दिया गया था। इस पत्र को एक प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया गया है।

7. पत्र (Ext. PF) को पढ़ने से स्पष्ट पता चलता है कि मांग के बारे में कोई भनक तक नहीं है, लेकिन मृतका ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसने पैसे और सामान खुद ही मांगे थे। विचारण न्यायालय ने गलत तौर पर यह माना कि पत्र में दहेज की मांग का संदर्भ था। हैरानी की बात है कि उच्च न्यायालय ने माना कि भले ही पत्र Ex.PF अप्रासंगिक था लेकिन दहेज के लिए तंग के बारे में रिश्तेदारों के सबूतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने सही ढंग से प्रस्तुत किया है, अदालत में दर्ज किए गए बयानों में सुधार हुए हैं। साक्षियों पीडब्लू 6 और 7 ने पहली बार कुछ पहलुओं को जाहीर किया। इस संबंध में महत्वपूर्ण बयान शाम लाल (पीडब्लू-6) का है। न्यायालय में उन्होंने कहा कि मृतका ने अस्पताल में उन्हें बताया था कि आरोपियों ने उस पर मिट्टी का तेल डाला था। उन्होंने अपनी परीक्षण के दौरान स्वीकार किया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 161 के संदर्भ में दर्ज किए गए उनके बयान में ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया था। इसी तरह, सुरिंदर कांता (पीडब्लू-7) ने न्यायालय में कहा कि मृतका ने उसे अपने ससुराल वालों द्वारा 1,00,000/- रुपये की मांग करने और 20,000/- रुपये देने के बारे में बताया था। यह संहिता की धारा 161 के तहत अन्वेषण के दौरान नहीं कहा गया था जैसा कि Ex.DA से स्पष्ट है। न्यायालय में पीडब्लू-7 ने कथन किया कि मृतका को 14.8.1992 और 15.8.2002 को पीटा गया था और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था

और अन्वेषण के दौरान ऐसा कोई कथन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, एफआईआर में इस पहलू के बारे में शिकायतकर्ता पीडब्लू-8 द्वारा ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया था।

8. न्यायालय के समक्ष बयान में पीडब्लू-7 ने कहा कि मृतका ने उसे बताया था कि ए-1 और ए-2 ने उसे पकड़ लिया और ए-1 ने उसके शरीर पर तेल डाला और माचिस की तीली फेंककर आग लगा दी। अन्वेषण के दौरान ऐसा कोई कथन नहीं किया गया था। इसी तरह वह PW-6 का संस्करण भी नहीं है। न्यायालय में पीडब्लू-7 ने कहा कि सभी आरोपी व्यक्तियों यानी वर्तमान अपीलार्थी और बरी किए गए आरोपी व्यक्तियों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। धारा 161 के तहत साक्षी से पूछताछ के दौरान ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया था ।

हजारीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2007 (8) स्केल 555) में अन्य बातों के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा इस प्रकार देखा गया:

"8. पीडब्लू 1 और 2 की साक्ष्य से पता चलता है कि उन्होंने दहेज को आत्महत्या का आधार बताया था। उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चूंकि मृतका ने एक बच्चे को जन्म दिया था, इसलिए उसके आत्महत्या करने का कोई कारण नहीं था। मृतका के माता-पिता पीडब्लू 1 और 2 की गवाही केवल दहेज से संबंधित थी। उच्च न्यायालय ने माना कि दहेज की मांग का कोई सवाल ही नहीं था, और वास्तव में, अपीलार्थी

मृतका पीडब्लू 1 के पिता को वित्तपोषण कर रहा था। यह दिखाने के लिए कोई अन्य सामग्री नहीं है कि मृतका को कैसे परेशान किया जा रहा था या क्रूरता का शिकार बनाया जा रहा था, उच्च न्यायालय का निष्कर्ष कि क्योंकि मृतका ने आत्महत्या की थी, इसलिए कुछ तंग और क्रूरता हुई होगी, यह समर्थन योग्य नहीं है। इस निष्कर्ष को प्रमाणित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। केवल अनुमानों और अटकल के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती थी। "हो सकता था", "होना चाहिए" और "रहा है" के बीच बहुत बड़ा अंतर है। किसी भी सामग्री के अभाव में मामला पहली श्रेणी में आता है। ऐसे मामले में दोषसिद्धि अस्वीकार्य है।"

10. हरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2006) 1 एससीसी 463 में इसे इस प्रकार देखा गया:

"16 ए. उपर्युक्त प्रावधान में इस आशय की एक कानूनी कल्पना रची गई है कि यदि यह स्थापित हो जाए कि मृत्यु से ठीक पहले, मृतका को उसके पति या उसके किसी रिश्तेदार द्वारा दहेज की किसी भी मांग के के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या तंग का शिकार बनाया गया था; ऐसी मृत्यु को "दहेज मृत्यु" कहा जाएगा, और ऐसे पति या रिश्तेदार द्वारा उसकी मृत्यु कारित किया जाना माना जाएगा। संसद ने 1986 के अधिनियम 43 लागू 1-5-1986 से के द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी को भी शामिल किया है, जो इस प्रकार है:

"113-बी। दहेज हत्या के बारे में उपधारणा - जब सवाल यह है कि क्या किसी व्यक्ति ने एक महिला की दहेज हत्या की है और यह दर्शाया गया है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले उस महिला के साथ ऐसे व्यक्ति द्वारा दहेज की किसी भी मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या तंग किया गया था, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज हत्या कारित की है।

स्पष्टीकरण.--इस धारा के प्रयोजन के लिए, 'दहेज मृत्यु' का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 304-बी में है।"

11. कलियापेरुमल और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (2004 (9) एससीसी 157) में इस न्यायालय द्वारा आईपीसी की धारा 304-बी के दायरे और सीमा की जांच की गई थी।

12. आईपीसी की धारा 304-बी दहेज हत्या से संबंधित है जो इस प्रकार है:

"304-बी. दहेज मृत्यु.--(1) जहां किसी स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व उसके पति ने या उसके पति के नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में उसके साथ

क्रूरता की थी, या उसे तंग किया था वह ऐसी मृत्यु को 'दहेज मृत्यु' कहा जाएगा, और ऐसे पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा

स्पष्टीकरण.--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, 'दहेज' का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है।

(2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा।"

13. प्रावधान तब लागू होता है जब किसी महिला की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व उसके पति ने या उसके पति के नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी, या उसे तंग किया था। आईपीसी की धारा 304-बी के लागू होने के आवश्यक घटक इस प्रकार हैं:

(i) महिला की मृत्यु दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा होनी चाहिए।

(ii) ऐसी मृत्यु उसकी शादी के सात साल के भीतर होनी चाहिए।

(iii) वह अपने पति या पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या तंग का शिकार हुई होगी।

(iv) ऐसी क्रूरता या तंग दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में होना चाहिए।

(v) यह दर्शाया जाना चाहिए कि ऐसी क्रूरता या तंग महिला के साथ उसकी मृत्यु से ठीक पहले किया गया था।

14. साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी भी मौजूदा मामले के लिए प्रासंगिक है। आईपीसी की धारा 304-बी और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी दोनों को दहेज हत्या के बढ़ते खतरे से निपटने के उद्देश्य से दहेज प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम 1986 के 43 द्वारा पहले बताए गए अनुसार शामिल किया गया था। धारा 113- ख इस प्रकार है:

"113 ख. दहेज मृत्यु के बारे मे उपधारणा: जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु से कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिये, या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की या उसको तंग किया था, तो न्यायालय यह उपधारण करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।

स्पष्टीकरण.--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 'दहेज मृत्यु' का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 304-बी में है।"

15. भारत के विधि आयोग द्वारा "दहेज मृत्यु और कानून सुधार" पर दिनांक 10-8-1988 की अपनी इक्कीसवीं रिपोर्ट में दो प्रावधानों को शामिल करने की आवश्यकता का व्यापक विश्लेषण किया गया था। दहेज से संबंधित मौतों को साबित करने के लिए सबूत हासिल करने में पहले से मौजूद कानून में बाधा को ध्यान में रखते हुए, विधायिका ने कुछ आवश्यक सबूतों के आधार पर दहेज मृत्यु की उपधारणा से संबंधित प्रावधान जोड़ना बुद्धिमानी समझा। इसी पृष्ठभूमि में साक्ष्य अधिनियम में उपधारित धारा 113-बी जोड़ी गई है। आईपीसी की धारा 304-बी में "दहेज मृत्यु" की परिभाषा और साक्ष्य अधिनियम की उपधारित धारा 113-बी में शब्दों के अनुसार, दोनों प्रावधानों में, अन्य के अलावा, आवश्यक तत्वों में से एक यह है कि संबंधित महिला को "उसकी मृत्यु से कुछ समय पहले" उसे "दहेज की मांग के संबंध में" क्रूरता या तंग का शिकार होना पड़ा। धारा 113-बी के तहत उपधारणा कानून की उपधारणा है। उसमें उल्लिखित आवश्यक बातों के प्रमाण पर, अदालत के लिए यह उपधारणा करना अनिवार्य हो जाता है कि अभियुक्त ने दहेज हत्या कारित की। निम्नलिखित अनिवार्यताओं के प्रमाण पर ही उपधारणा कारित की जाएगी:

(1) न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह होना चाहिए कि क्या आरोपी ने किसी महिला की दहेज हत्या की है। (इसका मतलब यह है कि उपधारणा तभी की जा सकती है जब आरोपी पर आईपीसी की धारा 304-बी के तहत अपराध के लिए विचारण चलाया जा रहा हो ।)

(2) महिला को उसके पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता या तंग का शिकार होना पड़ा।

(3) ऐसी क्रूरता या तंग दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में था।

(4) ऐसी क्रूरता या तंग उसकी मृत्यु से ठीक पहले हुआ था।

16. साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी और आईपीसी की धारा 304-बी को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलता है कि यह दिखाने के लिए सामग्री होनी चाहिए कि पीड़िता की मृत्यु से ठीक पहले पीड़िता के साथ क्रूरता की गई थी या उसे तंग किया गया था। अभियोजन पक्ष को प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु की संभावना को खारिज करना होगा ताकि इसे "सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा होने वाली मृत्यु" के दायरे में लाया जा सके। जहां साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी और आईपीसी की धारा 304-बी को लागू किया जाता है, वहां "कुछ समय पूर्व" बहुत प्रासंगिक है । अभियोजन पक्ष यह दिखाने के लिए बाध्य है कि घटना से ठीक पहले क्रूरता हुई थी या उसे तंग किया गया था और केवल तभी उपधारना लागू

होती है। उस संबंध में साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। "कुछ समय पूर्व" एक सापेक्ष शब्द है और यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और घटना से ठीक पहले की अवधि क्या होगी, इसके लिए कोई स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला निर्धारित नहीं किया जा सकता है। किसी भी निश्चित अवधि को इंगित करना खतरनाक होगा, और यह दहेज मृत्यु के अपराध के सबूत के साथ-साथ साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के तहत उपधारना करने के लिए निकटता परीक्षण के महत्व को दर्शाता है। आईपीसी की मूल धारा 304-बी और साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "उसकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व" निकटता परीक्षण के विचार के साथ मौजूद है। कोई निश्चित अवधि इंगित नहीं की गई है और अभिव्यक्ति "कुछ समय पूर्व" परिभाषित नहीं है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के दृष्टांत अ में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "कुछ समय पूर्व" प्रासंगिक है। इसमें कहा गया है कि एक न्यायालय यह मान सकती है कि चोरी के तुरंत बाद जिस व्यक्ति के पास सामान है, वह या तो चोर है या उसने सामान चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया है, जब तक कि वह अपने कब्जे का स्पष्टीकरण न दे सके। प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, "कुछ समय पूर्व" शब्द के भीतर आने वाली अवधि का निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाता है। हालाँकि, यह इंगित करना पर्याप्त है कि "कुछ समय पूर्व" अभिव्यक्ति का सामान्य अर्थ यह होगा कि संबंधित क्रूरता या तंग और संबंधित मृत्यु के बीच अधिक

अंतराल नहीं होना चाहिए। दहेज की मांग पर आधारित क्रूरता के प्रभाव और संबंधित मृत्यु के बीच निकटतम और जीवंत संबंध का अस्तित्व होना चाहिए। यदि क्रूरता की कथित घटना समय में बहुत दूर है और इतनी पुरानी हो चुकी है कि संबंधित महिला के मानसिक संतुलन पर प्रभाव नहीं डाल रहा है, तो इसका कोई परिणाम नहीं होगा।"

17. उच्च न्यायालय का निर्णय न केवल अधूरा है बल्कि कारणहीन भी है। ऊपर उजागर किए गए विभिन्न कारकों से पता चलता है कि जहां तक अपीलार्थी का संबंध है, अभियोजन पक्ष आरोपों को स्थापित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। इसलिए, अपील स्वीकार किए जाने योग्य है जिसका हम निर्देश देते हैं। अगर किसी अन्य प्रकरण के संबंध में आवश्यक न हो तो अपीलार्थी को तुरंत रिहा किया जाए ।

अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री विकास अचरा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाष में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, नि्रणय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा